न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1249 सन 2021

अनवान :–

1. तारूराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खूईया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सहीराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. भोमाराम पुत्र शेराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. प्रेमकुमार पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. कविता पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. चन्द्रवती पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. निरमा पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
7. प्रियंका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8. भंवरीदेवी पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. मंजु पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. मोनिका पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. सन्तोष पुत्री पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. बिदामी पत्नी पन्नाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 180/175 की कुल 8.8010हैक में से 4.401हक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम एवं रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 163/338 की कुल 20.8850हैक भूमि में से 12.2596हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के नाम अन्य खातेदारों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता शेराराम के नाम से दर्ज थी शेराराम एवं उनके पुत्र पन्नाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि व अन्य भूमियों की काश्त की सुविधा को ध्यान में रखत हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हिस्से में आई व अन्य गांव/खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 के हिस्से में आई जो उनके नाम दर्ज करवाई जा चुकी है।

वाद भमि का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के मध्य हुए परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 जो वादी के भाई के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 12 ने निवेदन किया की वाद भूमि [illegible] किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य हे जिन्होने वाद भूमि व अन्य चकों की भूमियो की काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि व अन्य खातों /गांवों की भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को प्राप्त हुई एवं अन्य गावं /खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 को प्राप्त हुई थी जो उनके नाम दर्ज करवाइ जा चुकी है वाद भूमि परिवारिक समझौता के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्वात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 180/175 की कुल 8.8010हैक में से 4.401हैक एवं रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 163/338 की कुल 20.8850हैक भूमि में से 12.2596हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के नाम अन्य खातेदारों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता शेराराम के नाम से दर्ज थी शेराराम एवं उनके पुत्र पन्नाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि व अन्य भूमियों की काश्त की सुविधा को ध्यान में रखत हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हिस्से में आई व अन्य गांव/खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 के हिस्से में आई जो उनके नाम दर्ज करवाई जा चुकी है।

वाद भमि का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के मध्य हुए परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 जो वादी के भाई के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 180/175 की कुल 8.8010हैक में से 4.401हैक एवं रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 163/338 की कुल 20.8850हैक भूमि में से 12.2596हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के नाम अन्य खातेदारों के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है किवाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य हे जिन्होने वाद भूमि व अन्य चकों की भूमियो की काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि व अन्य खातों /गांवों की भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को प्राप्त हुई एवं अन्य गावं /खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 को प्राप्त हुई थी जो उनके नाम दर्ज करवाइ जा चुकी है वाद भूमि परिवारिक समझौता के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 180/175 की कुल 8.8010हैक भूमि में से 4.401हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 163/338 की कुल 20.8850हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 12.2596हैक भूमि का वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा यथावत रहेगा जो प्रतिवादी संख्या 4 ता 13 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/06/2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1 लाल्हराम पुत्र शराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 [illegible] पुत्र [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2 [illegible] पुत्र [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3 प्रेमकुमार पुत्र [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
7 प्रियंका पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
8 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
10 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
11 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
12 [illegible] पुत्री [illegible] जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13 राजस्थान सरकार [illegible] तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1249 सन 2021 निर्णय दिनांक- 22/06/2022

[illegible] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी [illegible] / निर्णय हेतु प्रस्तुत [illegible] पर [illegible] प्रतिवादीगण की [illegible] के [illegible] वाद वादी [illegible] की [illegible] खुईया के खाता संख्या 180 / 175 की कुल 8.80 [illegible] भूमि [illegible] 4.40 [illegible] भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का [illegible] खुईया के खाता संख्या 163 / 338 की कुल 25.885 [illegible] भूमि [illegible] 12.2596 [illegible] भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का [illegible] प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा [illegible] प्रतिवादी संख्या 4 से 13 का नाम [illegible] किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible] 1000 / - रू. का स्टाम्प [illegible] किया जावे। [illegible] वाद [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)